

पत्रावली पेश हुई | वकील पत्रकार उपास्थित | वदम
प्रार्थनापत्र हेतु आन्वेष अवसर दिया जाता है |
पत्रावली दिनांक 14.2.18 को पेश हो

Bmd

16.1.18

पत्रावली पेश हुई | वकील पत्रकार उपास्थित |
पत्रावली वदम प्रार्थनापत्र दिनांक 28.3.18
को पेश हो

Bmd

14.2.18

28.3.18 पत्रावली पेश हुई | वकील द्वारा
कन्डोलेंस प्रार्थनापत्र रखित करने
के लिये पत्रावली पेश की जा
सकी | पत्रावली दिनांक 25.4.18
को पेश हो |

25/18 पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आन्वेषी कार्यवाही
हेतु न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल द्विमतपुरा (30.5.18)
में पेश हो।

पत्रावली राज राजस्व लोक अदालत न्याय आपडें द्वार कैम्प कोर्ट
द्विमतपुरा में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3 स्वयं उपास्थित
जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत द्विमतपुरा ने की है। प्रार्थीगण
का मूलवाद खारिज हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र
को आगे चलाया जाना उचित नहीं समझते हैं अतः प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र अरन्धाची निषेधाज्ञा क्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम है।

आज दिनांक 30.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपडें
द्वार कैम्प कोर्ट द्विमतपुरा में सजमे आम में सुनाया गया।

Bmd
30.5.18

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

आन्ताभात
सरपंच

ग्राम पंचायत द्विमतपुरा
बस्सी जिला जयपुर

कंपनरी
कैम्प कोर्ट
इन्तर्दिकी
द्वारा